न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 118/2017 अपील (RCMS/2017/00184)
पंजीयन दिनांक — 12.09.2017
निर्णय दिनांक — 24.06.2019

1. श्रीमती रतनबाई पुत्री श्री पृथ्वीराज सुखवाल, पत्नि श्री सुरेशचन्द्र जी निवासी सावा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री मदनलाल आत्मज श्री मोतीलाल सुखवाल, निवासी सावा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।
2. तहसीलदार, चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—

1. श्री पी.सी.पालीवाल — वकील अपीलान्ट

प्रकरण संख्या—56/2016 में न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.06.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या—56/2016, में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- रेस्पोडेंट श्री मदनलाल पिता मोतीलाल ने अधीनस्थ न्यायालय समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री पृथ्वीराज पिता श्री माधुलाल सुखवाल निवासी सावा ने उसके पक्ष में ग्राम मेडी का अमराना में स्थिति भूमि आराजीयात न. 255 व 256 दिनांक 19.02.2002 को वसीयत कर दी एवं उनकी मृत्यु दिनांक 09.02.2016 को हुई। उक्त वसीयत के आधार पर उसके नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया जावें। इसी प्रकार श्री पृथ्वीराज सुखवाल की पुत्री श्रीमती रतनीबाई ने भी दिनांक 02.05.2016 को अधीनस्थ न्यायालय समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पृथ्वीराज की समस्त आराजीयात हक मात्र पुत्री वारिस होने से विरासती नामान्तरकरण स्वयं के नाम खोले जाने का निवेदन किया।

- अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण राजस्व शिविर न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट सामरी में रख निर्णय दिनांक 27.06.2017 पारित किया किया कि–

  ''प्रस्तुत दस्तावेज, गवाहान एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह सामने आये है कि पृथ्वीराज पिता माधुलाल सुखवाल के एक मात्र पुत्री रतनीबाई है जिसका विवाह पोटलाकलां में श्री सुरेशचन्द पिता भगवानलाल से हुआ तथा पृथ्वीराज ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त सम्पत्ति, आराजीयात प्रार्थी मदनलाल पिता मोतीलाल को दिनांक 19.02.2001 को वसीयत कर दी। वसीयतनामा दिनांक 19.02.2001 को उपस्थित गवाहान ने अपने बयानों से साबित कराया है, जिससे यह प्रमाणित पाया जाता है कि स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज ने अपने जीवनकाल में ही अपनी समस्त सम्पत्ति व आराजीयात अपने भतीजें मदनलाल को दिनांक 19.02.2001 को वसीयत कर दी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं वसीयत में ग्राम मेडी का अमराना की आराजी न. 255 व 256 लिखा गया है जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है, जबकि श्री पृथ्वीराज पिता माधुलाल एवं उनके भाई मोतीलाल पिता माधुलाल के नाम ग्राम रेल का अमराना में आराजी न. 210, 211, 213, 214 किता 4 रकबा 0.84 है. भूमि दर्ज रेकार्ड है। जो कि भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार उनकी स्वअर्जित सम्पत्ति है। प्रार्थी मदनलाल द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वसीयत के अनुसार प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में ग्राम मेडी का अमराना की आराजी न. 210, 211, 213, 214 किता 4 रकबा 0.84 है. प्रार्थी के नाम दर्ज करायी जावे, क्योंकि वसीयत में समस्त सम्पत्ति व आराजीयात प्रार्थी को वसीयत कर दी। विपक्षीयां ने अपने जवाब में वसीयत को शुन्य कराने हेतु वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन होना बताया, परन्तु वादपत्र की प्रति पेश नहीं की, जो आदेश प्रस्तुत किया है। वह एक वाड़े की यथास्थिति बनाये रखे जाने स्थगन आदेश की प्रति है। विपक्षीयां यहा साबित करने में असफल रही है कि वसीयत शुन्य कराने का वाद विचाराधीन है, एवं वसीयत दिनांक 19.12. 2001 फर्जी है।

  अतः विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज, के आधार पर वसीयतनामा दिनांक 19.02.2001 के अनुसार प्रमाणित होता है कि पृथ्वीराज पिता माधुलाल सुखवाल ने अपनी समस्त सम्पत्ति व आराजीयात प्रार्थी मदनलाल पिता मोतीलाल सुखवाल को वसीयत की, आराजीयात स्व.अर्जित होना प्रमाणित है, एवं वसीयतनामा को भी गवाहों ने अपने साक्ष्य से प्रमाणित होता है, इसलिए ग्राम रेल का अमराना में स्थिति आराजी न. 210, 211, 213, 214 किता 4 रकबा 0.84 है. जरिये वसीयत दिनांक 19.02.2001 के आधार पर पृथ्वीराज पिता माधुलाल को सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी मदनलाल पिता मोतीलाल के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।''

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय 27.06.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 08.08.2017 को अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंट के ओर से कोई उपस्थित नहीं। दिनांक 04.06.2019 को वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि श्रीमती रतनबाई पृथ्वीराज की पुत्री होने एक निर्विवादित तथ्य है, अधीनस्थ न्यायालय की

पत्रावली पर दिनांक 25.07.2016 को श्री मदनलाल का शपथ पत्र भी शामिल है जिसमें विरासत के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने के साथ साथ यह भी अंकित किया गया है कि मृतक के अन्य कोई वारिसान नहीं है, जबकि रतनीबाई पुत्री होकर जीवित है और उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी विचाराधीन था। श्रीमती रतनीबाई ने अपने प्रार्थना पत्र में ग्राम सावा तहसील चित्तौड़गढ़ की भूमि खसरा नम्बर 364 स्वयं के पिता व अपने काका के 1/2 हक होना भी अंकित करते हुए विरासत का नामान्तरकरण खोलने का अनुरोध किया परन्तु ग्राम सावा की भूमि की सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं किया गया। उक्त वसीयत में जो आराजीयात का अंकन किया गया वह किसी अन्य के खाते दर्ज है जिससे वसीयत किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। भू–अभिलेख निरीक्षक ने वक्त मौका निरीक्षण एवं जांच के दौरान अपीलार्थी को कोई सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाकर कथित रिपोर्ट तैयार की गई। यही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय वसीयत के गवाहान को बुलाकर बयान दर्ज किए गए, जबकि वक्त बयान अपीलार्थी को पृथ्वीराज की एकमात्र पुत्री है, उसे बुलाया जाकर उनकी उपस्थिति में बयान दर्ज किये जाने थे। अपीलार्थी को प्रतिपरीक्षा का अवसर नहीं दिया गया जो न्याय के विपरित है। सर्दभित वसीयत पृथ्वीराज के खाते की भूमि ही नही थी। जितने भी गवाह प्रस्तुत किये गये, वह स्वयं वसीयत के अंकित तथ्यों के विपरित बयान कर रहे है जिससे वसीयत फर्जी होना पूर्णतया स्वतः प्रमाणित होता है। इस प्रकार के दस्तावेज के आधार पर रेस्पोडेंट को नामान्तरकरण जैसी कार्यवाही में कोई अधिकार अर्जित नहीं होते है एवं यदि वह किसी प्रकार का हक व स्वत्व उसे प्राप्त होता है तो विधिवत वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त करनी चाहिए। उपरोक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न कर पारित निर्णय काबिल निरस्त के है। प्रकरण में नकल प्राप्त कर विचाराधीन अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने का अनुरोध किया हैं।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारणों की समीक्षा की गई और प्रस्तुत कारण संतोषजनक प्रतीत नहीं होते है, विलम्ब को कन्डोन किये जाने के लिए कोई उचित एवं पर्याप्त आधार नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के बावजुद प्रश्नगत अपील में तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों पर भी मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि श्री पृथ्वीराज पिता माधुलाल सुखवाल की एक मात्र पुत्री रतनीबाई है जिसका विवाह पोटलाकलां में श्री सुरेशचन्द पिता भगवानलाल से हुआ तथा पृथ्वीराज ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त सम्पत्ति, आराजीयात श्री मदनलाल पिता मोतीलाल को दिनांक 19.02.2001 को वसीयत कर दी। वसीयतनामा दिनांक 19.02.2001 को उपस्थित

गवाहान ने अपने बयानों से साबित कराया है, जिससे यह प्रमाणित पाया जाता है कि स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज ने अपने जीवनकाल में ही अपनी समस्त सम्पत्ति व आराजीयात अपने भतीजें मदनलाल को दिनांक 19.02.2001 को वसीयत कर दी। उक्त वसीयत को अधीनस्थ न्यायालय समक्ष गवाहान द्वारा प्रमाणित किया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में सरसरी जांच नामान्तरकरण तस्दीक करने वाली आथोरिटी के स्तर पर की जानी वांछित है, जिसके क्रम में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा जांच कार्यवाही सम्पादित की गई। तहसीलदार को वसीयत के आधार पर नामान्तकरण के मामलें में वसीयत में जांच करने का अधिकार है यद्यपि विवादग्रस्त वसीयत के सम्बन्ध में में अंतिम निर्णय सिविल न्यायालय का ही बाध्यकारी होगा किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि जिस आधार पर नामान्तरकरण चाहा गया है उस आधार की तहसीलदार जांच न करें। प्रश्नगत प्रकरण में उक्त वसीयत को अपीलान्ट द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। न ही किसी सक्षम न्यायालय में वसीयत को निरस्त कराने या फर्जी घोषित कराने का दावा प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। जब तक उक्त वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं कराया जाता है, तब कर उसकी वैधता/सत्यता पर प्रश्न किया जाना उचित नहीं है, आलौच्य आदेश पारित किये जाने पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों के साक्ष्य लिए गए जिन्होनें वसीयत की सत्यता/वैधता को साबित किया है। विधि के प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार वसीयत का रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। श्री पृथ्वीराज पिता माधुलाल सुखवाल ने अपनी समस्त सम्पत्ति व आराजीयात प्रार्थी मदनलाल पिता मोतीलाल सुखवाल को वसीयत की, आराजीयात स्व.अर्जित होना प्रमाणित है, एवं वसीयतनामा को भी गवाहों ने अपने साक्ष्य से प्रमाणित होता है।

इन्ही तथ्यों एवं उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण जांच व विवेचना कर, विधिक प्रावधानों पर विचार कर, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय दिनांक 27.06.2017 पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 27.06.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर